

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक - /0/ /दो-11-1/2022

बिलासपुर, दिनांक १५ जनवरी, 2024

कार्यालयीन आदेश क्रमांक-350, बिलासपुर दिनांक 25-08-2023 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-तीन के पद पर अनुसूचित जनजाति (महिला) संवर्ग से नियुक्त एक कर्मचारी द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति के प्रतीक्षा सूची में दर्शित निम्नांकित महिला अभ्यर्थी को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

स.क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4	5
1	कु० अनीता पोद्दाम, पिता श्री चन्दन सिंह	ग्राम-रटगा, पोस्ट-रटगा, तहसील-मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ०ग०), 495118	अनुसूचित जनजाति (महिला)	सहायक ग्रेड-तीन

नियुक्ति की शर्तें :-

- परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
- चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
- अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

7. कार्यभार ग्रहण हेतु अभ्यर्थी को 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 15-02-2024 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्रमांक- 161 / दो-11-1 / 2022

बिलासपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1931/तीन-18-29/2008, बिलासपुर दिनांक 12-03-2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2 प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर को निर्देशित करें।
- 3 लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 कु. अनीता पोट्टाम पिता श्री चन्दन सिंह, निवास पता- ग्राम-रटगा, पोस्ट-रटगा, तहसील-मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0), 495118 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0